E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 2205 / 12—1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 31 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रौली से कुणेथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 है0 वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 08बी/यू.सी.पी. /06/271/2015/एफ0सी0/2073, दिनॉक 14—03—2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रमाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2992/12—1 दिनॉक 24.03.2022 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गई सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख) बैजरौ मुख्यालय—सतपुली (गढ़वाल) के पत्रांक—107/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं0ख0), दिनांक 19—02—2022 से उनके कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे मूल में संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः— यथोपरि 3 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

पत्रांक 2205 / 12-1 दिनॉक

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uttt@yahoo.co.in . Phone/Fax No:-01368-222215

पत्रांक- 2651 /12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, फरवरी, 26 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सैली से कुलेख मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.888 है0 वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/271/2015/एफ0सी0/1162, दिनांक 06-09-2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र सं0 458/FP/UK/ROAD/11576/2015 दिनांक 14-09-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के पत्रांक-107/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि0ख0), दिनांक 19-02-2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे मूल में संलग्न कर चार (4) प्रतियों में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के उक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: 2651 / 12-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) को उनके पत्रांक 107/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि0ख0), दिनांक 19-02-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मुकेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख)बैजरौ
मुख्यालय– सतपुली(गढवाल) ।

E-mall:eepmgsybaijro@rediffmail.com

पत्रांक:– 107 /पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)/ दिनांक : 19/02/2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढवाल वन प्रभाग
पौडी गढ़वाल।

विषयः– जपनद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत रौली(व्यासी)–कुनैथ मोटर मार्ग हेतु 4.968 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/271/2015/एफ0सी0/2073 दिनांक 14.03.2017 कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी के पत्र सं0 3198/FT/UK/ROAD/11576/2015 दिंनाक 31.03.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयाकिंत प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:–

क्र0 स0	शर्त	अनुपालन
1	**शासन की शर्त सं0–1** प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.936 है0 ग्राम–कुणेथ सिविल सोयम भूमि दर प्रतिकर वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एंव नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	**शर्त सं0–1** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–मरगुडण पट्टी–रावतस्यूॅ, तहसील श्रीनगर के नॉन जेड ए श्रेणी 9(3)ख–2 झाडी खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकवा 16.263 हे0 मध्यें सिविल एंव सोयम भूमि का 9.936 है0 को वन विभाग के नाम जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या–1400/ 26–प्रशा0अधि0 (सा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौडी अप्रैल 16. 2018 के द्वारा नामान्तरण हस्तान्तरण कर दी गई है (संलग्न Annexure-1)। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण कर दिया गया है। वांछित प्रमाण पत्र (संलग्न Annexure-2)
2	**शासन की शर्त सं0–2** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	**शर्त सं0–2** क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो का रखरखाव हेतु धनराशि रू0 5781083.00 (सत्तावन लाख एक्यासी हजार तिरासी रू0) कॉपरेशन बैंक के चालान के माध्यम से चैक आई0डी0 सं0 13115762015691 द्वारा जमा कर दी गई है। (संलग्न Annexure-3)
3	**शासन की शर्त सं0–3** शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	**शर्त सं0–3** याचक विभाग द्वारा वचन बद्ध है कि यदि एन0पी0वी0 की बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी (संलग्न Annexure-4)।
4	**शासन की शर्त सं0–4** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यकता है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	**शर्त सं0–4** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 5781083.00 (सत्तावन लाख एक्यासी हजार तिरासी रूपये मात्र कॉर्पोरेशन बैंक चालन के माध्यम से आई0डी0 सं0 113115762015691 द्वारा जमा कर दी गई है एंव सूचना प्रेषित है ।

5	**शासन की शर्त सं0–5** सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	**शर्त सं0–5** वंछित प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न Annexure-5)।
6	**शासन की शर्त सं0–6** State Govt. may review the information/date given in the district profile and the shortfall, if any, in the progress of CA may be suitablility clarified.	**शर्त सं0–6** वांछित प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्न Annexure-6)।
7	**शासन की शर्त सं0–7** State Govt. may submit the original copies of all revised documents to be placed in the hard copy of the proposal.	**शर्त सं0–7** उपरोक्त कार्यवाही कर दी गई है।

विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जानी है।

1	वनभूमि की विधिक परिस्थित बदली नही जायगी।	**शर्त नं0 01**– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदले जाने के लिये वचनवद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	**शर्त नं0 02**– के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य है(संलग्न Annexure-4)।
3	प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चयनित 9.936 है0 ग्राम कुणेथ सिविल एंव सोयम भूमि को 06 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	**शर्त नं0 03**– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–मरगुड पट्टी–रावतस्यूँ, तहसील श्रीनगर के नॉन जेड ए श्रेणी 9(3)ख–2 झाडी खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकवा 16.263 हे0 मध्यें सिविल एंव सोयम भूमि का 9.936 है0 को भारतीय वन अधिनियम , 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी के द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने के लिए सहमत है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आप–पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नही लागाया जायेगी।	**शर्त नं0 04**– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए कोई भी लेबर न लगाने के लिये के लिए सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एंव Back bearing अंकित किया जायेगा।	**शर्त नं0 05**– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमी पर 4 फीट ऊचें आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करने तथा उस पर Forward एंव Back bearing अंकित करने के लिये के लिए सहमत है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एंव स्टाफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचें।	**शर्त नं0 06**– के अनुपालन में प्रयोक्ता प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एंव स्टाफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचें के लिये वचनवद्ध है।
7	परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एंव जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।	**शर्त नं0 07**– के अनुपालन में परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एंव जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचाने के लिये सहमत है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उददेशय के अलावा अन्य किसी उददेशय के लिए नही किया जायेगा।	**शर्त नं0 08**– के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उददेशय के अलावा अन्य किसी उददेशय के लिए नही किया जायेगा तथ किसी भी परिस्थित में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग ये व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही करने के लिए सहमत है।

9	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 567 से अधिक न हो।	**शर्त नं0 09**– के अनुपालन में कम से कम वृक्षा का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 567 से अधिक न होने के लिए बचनबद्ध है।
10	सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation की जायेगी।	**शर्त नं0 10**– के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation किये जाने के लिए सहमत है (संलग्न Annexure-5)
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवें का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एव निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जायेगा।	**शर्त नं0 11**– के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवें का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एव निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेके जाने के लिए सहमत है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायाल्य आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	**शर्त नं0 12**– के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायाल्य आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना के लिए राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एंव वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	**शर्त नं0 13**– के अनुपालन में ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एंव वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समक्षें यदि विधिवत् में दी गयी शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के लिए सहमत है।

इस प्रकार उपरोक्त इंगित शर्तो का अनुपालन किया जाता है।
अतः अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः–उपरोक्त अनुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)बैजरों
मुख्यालय सतपुली,(पौड़ी गढ़वाल)।

केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः /054/ 26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौड़ी मार्च 9, 2018

"आदेश"

उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्याः 726 / जे0ए0 / 2017-18 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा व्यासी–रौली–कुणेथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख–2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो,खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

2. शासनादेश संख्याः 2173 / XVII (2) / 2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल में व्यासी–रौली–कुणेथ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख–2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो,खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढवाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0(सि0ख0)बैजरो मुख्यालय सतपुली
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1400 / 26--प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी अप्रैल 16 ,2018

"संशोधित आदेश"

इस कार्यालय के आदेश संख्याः 1054 / 26--प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा व्यासी–रौली–कुणेथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख--2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो,खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्बा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु त्रुटिवश अंकित किया गया था जबकि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर के खाता संख्या 318 खसरा नं0 42 रक्बा 16.263 है0 मध्ये 9.936 है0 भूमि की आवश्यकता है।

अतः इस कार्यालय के उपरोक्त वर्णित आदेश को संशोधित करते हुए व्यासी रौली कुणेथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख-2 झाड़ी, खाता सं0 318, खसरा नं0 42 रक्बा 16.263 है0 मध्ये 9.936 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार श्रीनगर तद्नुसार अभिलेखो में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढवाल।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1-- सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2-- आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3 नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4 अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0(सि0ख0)बैंजरौ मुख्यालय सतपुली
5-- उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

Annexure -1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रौली से कुणेथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.968 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–मरगुण, पट्टी –रावतस्यूँ, तहसील–श्रीनगर के नॉन जेड0 ए0 श्रेणी 9(3)ख–2 झाडी, खाता सं0 318, खसरा नं0 42 रक्वा 16.263 है0 मध्ये 9.936 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869-F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800 (II) /1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 2204 /12-1 . दिनांकित, पौड़ी, मार्च, 31 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Annexure - 2

Forwarded to PIU Baijro

e.forests-clearance.nic.in

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-08-2017

Agency Name.	PMGSY BAIJRO
Application No.	113115762015691
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive engineer PMGSY (ID) Baijro H.Q-Satpul Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	5781083/-

Amount in Words : Fifty-Seven Lakh Eighty-One Thousand and Eighty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113115762015691
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

send a line of confirmation through

Received

UTR No. ORBCH: 17313089359
dt 09-11-2017

8/23/2017, 12:06 PM

Proposal no. FP/UK/ROAD/11576/2015

Annexure - 3

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली–व्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि से भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

Annexure – 4

परियोजना का नाम	:–	**जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली–व्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)बैजरों मु0–सतपुली के निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडके के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल वे पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख स्ट्रिप प्लानटेशन किये जाने हेतु वचनबद्व है।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

Annexure - 5

परियोजना का नाम– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुणेथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र)

"प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित चयनित स्थल ग्राम–मरगुड़, पट्टी–रावतस्यूँ, तहसील–श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9 ख (2) ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हैं, के खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42, रक्वा 16.263 है0 मध्ये 11.00 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। यह प्रमाण–पत्र वन क्षेत्राधिकारी, पौड़ी रेंज, नागदेव की जांच आख्या पत्रांक–736/12–1, दिनांक 10–03–2018 से दी गई जांच आख्या के आधार पर दिया जा रहा है"।

(लक्ष्मण सिंह रावत, भा0व0सेवा)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Annexure - 6

परियोजना का नाम	:–	जनपद पौड़ी गढ़वाल के रौली–व्यासी कुनैथ मोटर मार्ग (4.968 है0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)बैजरों मु0–सतपुली के द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों व भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

जियो रेफेरेन्स मैप – जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुनेथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (मरगुण सिविल सोयम)

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:3,500

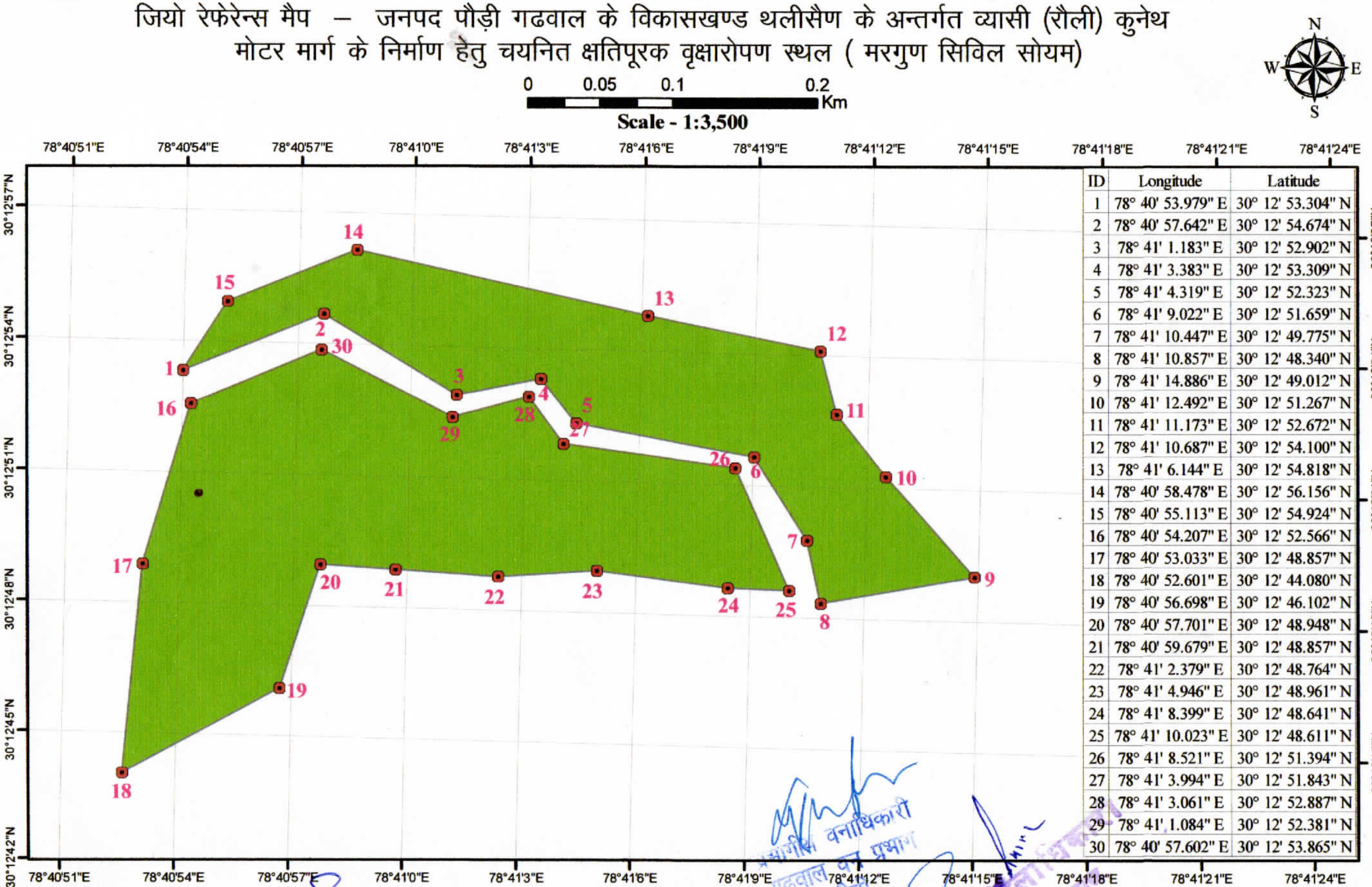

ID	Longitude	Latitude
1	78° 40' 53.979" E	30° 12' 53.304" N
2	78° 40' 57.642" E	30° 12' 54.674" N
3	78° 41' 1.183" E	30° 12' 52.902" N
4	78° 41' 3.383" E	30° 12' 53.309" N
5	78° 41' 4.319" E	30° 12' 52.323" N
6	78° 41' 9.022" E	30° 12' 51.659" N
7	78° 41' 10.447" E	30° 12' 49.775" N
8	78° 41' 10.857" E	30° 12' 48.340" N
9	78° 41' 14.886" E	30° 12' 49.012" N
10	78° 41' 12.492" E	30° 12' 51.267" N
11	78° 41' 11.173" E	30° 12' 52.672" N
12	78° 41' 10.687" E	30° 12' 54.100" N
13	78° 41' 6.144" E	30° 12' 54.818" N
14	78° 40' 58.478" E	30° 12' 56.156" N
15	78° 40' 55.113" E	30° 12' 54.924" N
16	78° 40' 54.207" E	30° 12' 52.566" N
17	78° 40' 53.033" E	30° 12' 48.857" N
18	78° 40' 52.601" E	30° 12' 44.080" N
19	78° 40' 56.698" E	30° 12' 46.102" N
20	78° 40' 57.701" E	30° 12' 48.948" N
21	78° 40' 59.679" E	30° 12' 48.857" N
22	78° 41' 2.379" E	30° 12' 48.764" N
23	78° 41' 4.946" E	30° 12' 48.961" N
24	78° 41' 8.399" E	30° 12' 48.641" N
25	78° 41' 10.023" E	30° 12' 48.611" N
26	78° 41' 8.521" E	30° 12' 51.394" N
27	78° 41' 3.994" E	30° 12' 51.843" N
28	78° 41' 3.061" E	30° 12' 52.887" N
29	78° 41' 1.084" E	30° 12' 52.381" N
30	78° 40' 57.602" E	30° 12' 53.865" N

Legend

- GPS Co ordinates
- Proposed Palntation

प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.ख.) बैज
मुख्यालय–सतपुली पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.खं.) बैजरो
मुख्यालय–सतपुली पौड़ी गढ़वाल

तहसीलदार

16.3.18

फॉ० एम० यू० पी० – 2(बी) टेरेल मैन्र – 9८६३, – 9,८२,३००

उद्धरण खतौनी

नियम – ४४

सं० घ खतौनी (मुन्तखिब) ग्राम:– मरगुल पट्टी:– रावतस्यूं तहसील:– श्रीनगर गढ़वाल

क्रम खेवट खाता संख्या	मुन्तखिब खतौनी खाते का क्रमांक	खातेदार/काश्तकार का नाम, पितृनाम एवं निवास स्थान	मुद्दत कब्जा या काश्त	खेत खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाप तोल	गैर मजरुआ आबादी जोत	मजरुआ मय लगान सालाना [illegible]	सेस	[illegible]	कार्यवाही मय मालगुजारी	[illegible]	विवाद जमीन उपराव मकबूल	दोयम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	विवाद [illegible]	[illegible]	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		श्रेणी 9(3) ख-2 – ऐसे वन जिसमें वृक्ष व झाड़ी के समूह पाये जाते हैं, –																		
	318	झाड़ी						श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के पत्र सं० 1054/26-प्रशा०आदे०/2018												
				2	0.040			दिनांक पौड़ी मार्च 9,2018 तहसील श्रीनगर के आदेश दिनांक 20-3-18 के अनुसार												
				4 ✗	0.098 ✗			शासनादेश सं० 2731/X VII(2)/2012-18 (120)/2010 दिनांक [illegible]-12-17 के अनुसार ग्राम-मरगुल पट्टी-रावतस्यूं की नौन० जेड० ए० श्रेणी 9(3) ख-2 ऐसे वन जिसमें वृक्ष												
				✗	✗			एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हैं, के खाता नं० 318 झाड़ी खसरा नं० 42 रकबा												
				42	13.262			16.263 हैक्टे० मध्ये 11.000 हैक्टे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण होने से दर्ज किया. दि० 02.04-18 S.D. [illegible]												
				✗	✗			जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के संशोधित आदेश सं० 1400/26-प्रशा०आदे०												
				✗	✗			(सा० प्रशा०)/2018 दिनांक पौड़ी अप्रैल 16,2018 के अनुसार [illegible] रौली [illegible] मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुल की नौन० जेड० ए० श्रेणी 9(3) ख-2 झाड़ी												
				369	0.028			खाता नं० 318, खसरा नं० 42 रकबा 16.263 मध्ये 9.936 हैक्टे० भूमि क्षतिपूरक												
		योग –		21	37.81			वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण होने से दर्ज किया, Sandare 17-04-18												

प्रमाणित किया जाता है कि नकल खतौनी नौन० जेड० ए० असल से तैयार कर निर्गत की गई है,

[signature] [illegible]-04-18

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र रावतस्यूं
तहसील श्रीनगर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत व्यासी (रौली) कुनेथमोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (मरगुण सिविल सोयम)

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000

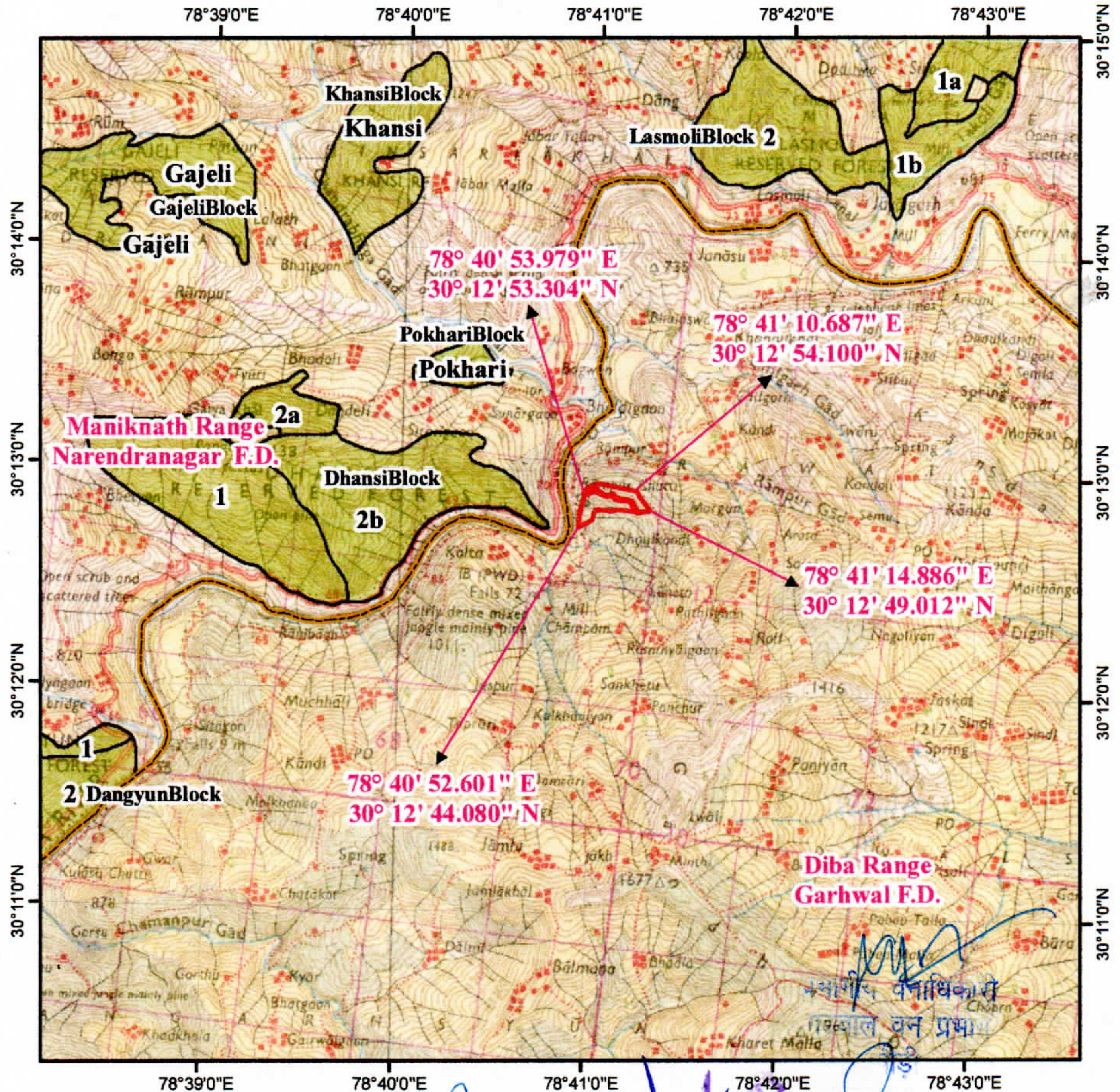

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.ख.) बैज
मुख्यालय–सतपुली पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.ख.) बैजरो
मुख्यालय–सतपुली पौडी गढवाल

तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

16.3.18